

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार।

निविदा आमंत्रण सूचना।

(प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण कार्य योजना)

ई- निविदा संख्या:- RWD/SD/LATEHAR/02/2020-21/RE

दिनांक:- **31.12.2020**


1. कार्य का नाम

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)		निविदा शुल्क	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की तिथि	टेण्डर कॉल नं०
		अंक में	अक्षर में				
1	लातेहार जिला के सरयू प्रखण्ड में प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय भवन, बी०डी०ओ०, सी०ओ०, सुपरवाईजर, ग्रेड-III एवं ग्रेड-IV आवास निर्माण कार्य के साथ बिजली और सेनेटरी कार्य।	8,76,49,276.95	आठ करोड़ छिहतर लाख उनचास हजार दो सौ छिहतर रूपये पंचानब्वे पैसे मात्र।	10,000.00 (दस हजार रूपये मात्र।)	17,53,000.00 (सतरह लाख तीरपन) हजार रूपये मात्र।	12 महिना	द्वितीय

- वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि :- **08.01.2021**
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- **20.01.2021** अपराहन् 05:00 बजे तक।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रखेत्र, एफ०एफ० पी० भवन धुर्वा, राँची के कार्यालय में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि एवं समय **21.01.2021** अपराहन् 03:00 बजे तक।
- परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र का 02 प्रतिशत राशि अग्रधन की राशि के रूप में जमा करना होगा।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय **22.01.2021** पूर्वाहन् 02:00 बजे।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार।
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं०- 0651-2401750, 9430739300
- निविदा शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार के पक्ष में भुगतये होगा, जो लौटाया नहीं जायेगा।
- किसी भी निविदाकार के यंत्र-संयंत्र एवं 'बिड' क्षमता के मापदण्डों पर प्रत्येक में सक्षम होने पर ही 'टेकनिकल' योग्यता पर विचार किया जायेगा।
- जिस संवेदक का विभाग में पूर्व आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरान्त 'सबलेट' करना एकरारनामा शर्त का उल्लंघन होगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।
- किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के क्रम में उनके ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०वि०+मु०मं०ग्र०से०यो०) के अन्तर्गत कुल कार्य भार के आलोक में उपलब्ध यंत्र-संयंत्र एवं वित्तीय क्षमता की सीमा तक नये कार्य आवंटन पर विचार किया जायेगा।
- निविदा प्राप्त करने के पूर्व स्थल निरीक्षण कर लिया जाय।
- झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-2146(S) दिनांक 09.09.2020 एवं अद्यतन प्रकाशित अधिसूचना के आलोक में सभी संवेदक नियमों का पालन करेंगे एवं तदनुसृत निविदा निस्तार की कार्रवाई की जाएगी।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार।


31/12/2020